{भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ}

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

अधिसूचना संख्या. 50/2019-सीमा शुल्क(गैटे)

नई दिल्ली, दिनांक 12 जुलाई, 2019

21 आषाढ़, 1941 शक

का.आ. (अ)- सीमा शुल्क अधिनियम (1962 का 52) की धारा 7 की उपधारा (1) के उपवाक्य (ग) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, एततद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 63/1994-सीमा-शुल्क (गैटे), दिनांक 21 नवंबर, 1994, जिसे का.आ.830(अ) दिनांक 21 नवंबर, 1994, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करता है, यथाः-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में नेपाल के भू-सीमा से संबंधित क्रम सं. 6 के समक्ष, रक्सौल, से संबंधित कॉलम (3) के मद (19) के समक्ष, कॉलम (4) में, प्रविष्टि (ख), के पश्चात निम्नलिखित प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-

(1)	(2)	(3)	(4)
			"(ग) मैसर्स इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड की पाइपलाईन जोकि भारत के बरोनी, पटना, मोतीहारी, नोनिया, को नेपाल के अमलेकगंज से जोड़ती है"।

(फा. सं. 552/10/2019-एलसी)

(गुंजन कुमार वर्मा)

अवर सचिव, भारत सरकार

नोटः प्रधान अधिसूचना को का.आ.830(अ) दिनांक 21 नवंबर, 1994 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 22/2019-सीमा-शूल्क (गैटे), दिनांक 15 मार्च, 2019, जिसे का.आ. 1386(अ) दिनांक 15 मार्च, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।